इंटरनेट की दुनिया में हो रहे महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध

शोध-सारांश

महिला साइबर अपराध दुनिया का सबसे गंभीर अपराध है जिसे 'वुमनकम्प्यूटर क्राइम' के नाम से भी जाना जाता है। कम्प्यूटर और इंटरनेट के द्वारा महिलाओं के खिलाफ की गई किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियां महिला साइबर क्राइम की श्रेणी में आती हैं। महिलाओं के साथ साइबर अपराध कई तरह से घटित होते हैं; जैसे-बुलिंग, स्पूफिंग, स्टॉकिंग, फिशिंग, स्पैम ई-मेल, हैकिंग, फर्जी बैक कॉल, फेक आई.डी. आदि न जाने कितने तरीकों से महिलाओं को परेशान किया जाता है। आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट खूब प्रचलन में हैं। ऐसे में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ई-मेल, चैट आदि के उपयोग से महिलाओं को तंग करने के मामले अक्सर सामने आते हैं। कभी महिला की निजी जानकारी को सार्वजनिक कर देना तो कभी उसके फेसबुक से फोटो, मोबाइल नंबर और पता निकाल कर भी अपराधी, अपराध को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं कभी-कभी तो लड़की के नाम से फेक आई.डी. बनाकर महिला को मिलने का भी न्योता देते हैं, जो साइबर अपराध का एक रूप है। फेसबुक या वाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर महिला को अशोभनीय कमेंट करना, धमकियाँ देना, महिला का इस स्तर तक मजाक बनाना कि वह परेशान हो जाये, इंटरनेट पर महिला को दूसरों के सामने शर्मिंदा करना आदि सभी बातें महिला अपराध का एक नया रूप दर्शाता है। महिला साइबर अपराध की इस तरह बढ़ रही रफ्तार को देखते हुए आज पूरा विश्व चिंतित है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हाल ही में दिल्ली में हुए आसियान-भारत साइबर शिखर सम्मेलन है।

प्रस्तुत शोध के आधार पर यह ज्ञात होता है कि अधिकतर महिलाएं साइबर अपराध से पूर्णत: परिचित नहीं हैं। साइबर अपराध की चपेट में 18 से 30 वर्ष की महिलाएँ ज्यादा देखने को मिली हैं। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक इस उम्र की महिलाएं अधिकतर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं। यहीं कारण है कि अधिकतर मामले फेसबुक और वाट्सएप से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर अपराध का प्रमुख कारण सोशल साइट की प्रमुख गोपनीय जानकारियों से अनभिज्ञता है। महिलाएं सोशल साइट का प्रयोग तो बहुतायत करती हैं परंतु सोशल साइट्स की प्राइवेसी से पूर्णत: परिचित नहीं होती हैं। अपने जीवन से जुड़ी निजी जनकारियों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते समय साझा कर देती हैं जिसकी वजह से अपराधी को महिला के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो जाती है। इसके अलावा महिलाएं अपने हर पल

की खबर सोशल नेटवर्क पर अपडेट कर देती हैं जो साइबर अपराधी के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं और वह उसका इस्तेमाल गलत इरादे से करता है। अपराधी महिलाओं के फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें पोर्न बेवसाइट्स पर डाल देते हैं तो कहीं कहीं महिला को बदनाम करने के लिए कॉल गर्ल भी घोषित कर दिया जाता है। इन सबका प्रभाव महिला के सम्पूर्ण जीवन पर पड़ता है।

विश्वविद्यालय में पढ़ रही छात्राओं के मुताबिक साइबर अपराध का कारण आपसी ईर्ष्या भी है। लड़के, विश्वविद्यालय की सुंदर लड़कियों को अपनी प्रेमिका के रूप में देखना चाहते हैं और यदि वह लड़की उनके साथ रहने से मना कर देती है तो लड़के इस तरह का व्यवहार करते हैं। कभी-कभी यह भी होता है कि कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में धोका खाया होता है तो उस लड़की को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर लड़की के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर सबके साथ अश्लील बातें करता है; जो कि महिला साइबर अपराध की गंभीर श्रेणी में आता है।

सोशल मीडिया पर महिला यौन हिंसा के स्वरूप को देखा जाए तो भद्दे मैसेज, चुटकुले, शायरी आदि से लेकर पोर्न विडियो तक देखने को मिल जाते हैं। महिलाओं की यौनिकता को लेकर जहां भद्दे मैसेज बनाए जाते हैं वहीं चुटकुले, शायरी प्रतिदिन हजारों की संख्या में परोसे जा रहे हैं। इन सबके अलावा महिलाओं के साथ कथित तौर पर यौन हिंसा वाट्सएप और फेसबुक पर आजकल धड़ल्ले से चल रहें हैं। महिलाओं को धमकाना, डराना, फोन पर प्रताड़ित करना आज के समय में आम बात हो गई है। इन सब कारनामों के पीछे पुरुषों की यौन कुंठा ही है जो महिलाओं पर उतारे जा रहे हैं।

महिला साइबर अपराध की शिकायत के लिए साइबर सेल की स्थापना की गई है। लेकिन बहुत सी महिलाएं अपने साथ घटित अपराध को चुपचाप सह लेती हैं और शिकायत के लिए नहीं जाती हैं, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता जाता है। वे लगातार महिलाओं के साथ अपराधिक हिंसा करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबित दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी की अगर बात की जाए तो महिला साइबर अपराध में इसका स्थान पहले नंबर पर है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आज प्रत्येक व्यक्ति की पहुँच इंटरनेट तक है। आज के समय में सभी सोसल साइट्स जैसे फेसबूक व्हाट्सएप का उपयोग मनोरंजन या फिर दोस्तों से जुड़े रहने के लिए करते हैं परंतु इसके बहुत से नुकशान भी है। साइबर अपराध का महिलाओं के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। महिला मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पीड़ित होती है। उन्हें कई प्रकार के मनोरोगों से गुजरना पड़ता है। परिवार के लोगो के साथ समझौता करना पड़ता है। समाज में महिला की छवि खराब होने के बाद उसे दुबारा हासिल

करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त के लिए कई प्रकार की कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद महिला को न्याय मिलता है। कई बार महिला को शारीरक रूप से पीड़ित किया जाता है। आर्थिक रूप से महिला कमजोर पड़ जाती है। उसके पास नौकरी नही होती जीवन के निर्वाह के लिए कई सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती है, असुविधा जनक निर्वाह करना पड़ता है। जिसके कारण महिला किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है। साइबर अपराध से प्रभावित महिला के जीवन में अनेक कष्ट भी आते है। जब महिला अपने परिवार में शिकायत करती है तो कुछ मामलों को घर तक ही सीमित रहने दिया जाता है। कुछ मामलों को वह पुलिस तक ले कर जाती है जहां अपराधी को पकड़ तो लिया जाता है। परंतु महिला को किसी भी प्रकार से संतुष्टि नही मिलती उसका पूरा जीवन ही इन घटनाओं के आसपास ही चलता रहता है। साइबर अपराध से निपने के लिए वर्तमान समय में कई नियम और क़ानून बनाएँ गए हैं। साइबर अपराधी को दंडित करने के लिए सूचना तकनीकी कानून 2000 और सूचना तकनीकी संशोधन कानून 2008, तो लागू होते ही हैं, मामले के दूसरे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता (आई पी सी), कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनियता कानून और यहाँ तक कि आतंक निरोधक कानून भी लागू किए जाते हैं। कुछ मामलों पर भारत सरकार के आई.टी. विभाग की तरफ से अलग से जारी किए गए आई.टी. अधिनियम 2011 भी लागू होते हैं।

साइबर अपराध (बुलिंग) से बचने के लिए सेक्सन 509 में कानून का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई शब्द या गतिविधि महिलाओं के एकांतता को भंग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। 66A की धारा भी बुलिंग के लिए ठीक बैठता है। इसके अलावा यदि किसी महिला को फेक आईडी से परेशान किया जाता है तो या फिर गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जैसा की सागरिका, कविता कृष्णन, और मीना कांदा सामी के मामलों में अपराधियों को सजा हुई भी है। इन सब के बावजूद महिलाओं को साइबर अपराध से बचने के लिए स्वयं कुछ सावधानियाँ रखना चाहिए। जैसे; इंटरनेट पर अपने ई-मेल को सुरक्षित बनाने के लिए अज्ञात स्रोत से आए 'स्पैम' यानी गैर ज़रूरी ई-मेल को न खोलें। जिन ई-मेल पतों पर अंग्रेज़ी के गलत या बहुभाषी अक्षर लिखें हों, जिनके विषय भी ऐसे हों जो समझ में आयें उन्हें बिना पहचाने क्लिक करना भी खतरनाक हो सकता है। इस तरह के ई-मेल से आए डॉक्यूमेंट पढ़ने की कोशिश न करें। गैर ज़रूरी ई-मेल के भीतर 'रिमूव' का विकल्प दिखने पर भी उसके ज़रिए ई-मेल को नष्ट न करें। इंटरनेट पर हर व्यक्ति की पहचान उसके पासवर्ड के ज़रिए होती है। पासवर्ड हैक होते ही आपकी निजी जानकारियां सार्वजनिक हो सकती

हैं। पासवर्ड के ज़रिए अपराधी इन जानकारियों का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जहां तक संभव हो इंटरनेट पर अपनी हर जानकारी को पासवर्ड से सुरक्षित करें। पासवर्ड बड़े और छोड़े अक्षरों सहित अंकों का मिलाजुलारुप होना चाहिए। पासवर्ड जितना कठिन होगा उसे भेदना उतना ही मुश्किल रहेगा। अपने पासवर्ड को इंटरनेट पर सोच समझकर अंकित करें। अनजान वेबसाइट पर पासवर्ड लिखना खतरनाक हो सकता है। समय-समय पर अपने पासवर्ड बदलते रहें। एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल न करें।बैंक लोन देने, किसी संस्था के लिए पैसा मांगने, बकाया पैसा लौटाने और लॉटरी से जुड़े ई-मेल आमतौर पर लोगों को फंसाने का तरीका होता है। इनका जवाब भेजने और जानकारियां मांगने से अच्छा है कि इनके बारे में साइबर अपराध शाखा को सूचित करें। इंटरनेट पर स्थित मुफ्त फिल्में, गाने और सॉफ्टवेयर आमतौर पर वायरस से संक्रमित होते हैं। ऐसा करते समय विशेष रुप से ध्यान रखने कि जरूरत होती है।सार्वजनिक जगहों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह के अनजान संदेश को स्वीकार न करें। अनजान, अजीबो-गरीब लिंक पर क्लिक करे बिना या आपकी इजाज़त भी न हो फिर भी कंप्यूटर की जानकारियां स्रोत तक पहुंच सकती हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर विशेषकर महिलाएं अपनी निजी तस्वीरें शेयर ना करें। अपनी कोई भी तस्वीर या पोस्ट डालने से पहले अपने अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग को जरूर चेंज कर लें। साइबर अपराधों से बचने के लिए अनजान लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में जगह नहीं देनी चाहिए। अपने नाम के बारे में थोड़े दिनों के अंतराल में गूगल पर सर्च करते रहें जिससे आपको पता चलेगा कि आपका नाम कहां और किस वेबसाइट पर प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी तरह की आशंका होने पर तुरंत ही अपने घर वालों और पुलिस विशेषकर साइबर क्राइम अपराध विशेषज्ञ को जल्द से जल्द सूचित करें। सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते समय ये जरूरी है कि उसके सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट जरूर करना चाहिए, किसी अंजान व्यक्ति को मित्र की सूची में शामिल नही करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अनचाहे संदेश का जवाव नही देना चाहिए जब तक कि वो परिचित न हो। अपनी फोटो व निजी जानकारी को दोस्तों तक ही सीमित रखे अर्थात पर्सनल डिटेल को रिस्ट्रिक्ट कर दे, ताकि गिने-चुने दोस्तों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत हलचल पर नज़र न रख सके। ऑनलाइन निजी जानकारी किसी को शेयर न करे जैसे- मोबाइल नंबर, ई-मेल, स्थायी पता, बैंक से संबन्धित जानकारी भले ही वह रिश्तेदार या फिर दोस्त ही हो। किसी अंजान व्यक्ति से ऑनलाइन फ्लर्ट यानि प्रेम संबन्धित बाते न करे न ही उसके साथ किसी भी प्रकार की बेहश नहीं करनी चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दोस्तों की संख्या सीमित रखें। किसी अंजान व्यक्ति को दोस्तों की सूची में कभी भी शामिल न करें। अंजान व्यक्ति जब दोस्त बनता है तो वह हमारे सभी दोस्तों पर ऑनलाइन

निगरानी रखने लगता है। उन्हे भी वह दोस्त बना लेता है। उसके बाद अपराधी अश्लील लिंक भेजना शुरू करता है। नोटिफ़िकेशन आपके सभी दोस्तो के पास जाता है उनमें आपके घर के सदस्य भी शामिल होते है।

इस शोध कार्य को पूरा करने के लिए मात्रात्मक शोध प्रविधि एवं गुणात्मक शोध प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा संख्यात्मक एंव गुणात्मक शोध प्रविधियों का भी प्रयोग किया गया है। इस शोध कार्य में आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्रोत एंव द्वितीयक स्रोत का प्रयो सोशल साइट्स का इतनी तेजी से प्रचार हुआ है कि आज शायद ही कोई युवा बचा हो जो इनका उपयोग न कर रहा हो। इन साइट्स के माध्यम से देश-विदेश की सूचनाएं प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से पहुंच रही हैं। जहां इन सोशल साइटों का मानव दुनिया में फायदा है, वहीं इनसे बहुत सारे अपराध भी हो रहे हैं। इन अपराधों में सबसे ज्यादा महिलाएं शिकार हो रही हैं, उनमें भी युवा लड़कियां। फेसबुक या फिर ह्वाटसऐप पर हो रहे अपराध आए दिन हमें टी. वी. पर देखने व समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलते हैं। कुछ अपराध तो हमें पढ़ने या सुनने को मिल जाते हैं पर बहुत से महिला साइबर अपराध सामने नहीं आ पाते या आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साइबर जगत और इसमें अंजाम दिए जाने वाले अपराध देश की सुरक्षा व्यवस्था के सामने हर रोज एक नई चुनौतीं पेश कर रहे हैं। खासतौर पर महिलाएं इस वर्चुअल वर्ल्ड में दुर्भावनापूर्ण अपराधों की लगातार शिकार हो रही हैं। वास्तव में, भारत में कुछ खास तरह के साइबर क्राइम महिलाओं पर ही अंजाम दिए जाते हैं। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां तेजी से बढ़ते इन अपराधों को रोकने और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। इन हालात का प्रभावी तरीके से मुकाबला करने के लिए जरूरी है जागरूकता। महिलाओं के बीच उन अपराधों और आपराधिक तरीकों को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, जो सिर्फ उन्हें निशाना बनाकर अंजाम दिए जा रहे हैं।महिलाओं को निशाना बनाकर सबसे ज्यादा जिस अपराध को अंजाम दिया जाता है, वह है- साइबर स्टाकिंग यानी साइबर वर्ल्ड में पीछा करना या पीछे से हमला करना। बार-बार टेक्स्ट मैसेज भेजना, मिस्ड कॉल करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, स्टेटस अपडेट पर नजर रखना और इंटरनेट मॉनिटरिंग इसी अपराध की श्रेणी में आते हैं। महिला साइबर अपराध के केंद्र में सोलह वर्ष से लेकर पैंतीस वर्ष की महिलाएं अधिकाधिक संख्या में होती है।कारण,सोशल मीडिया पर महिलाये एवं युवा बिना सोचे समझे कुछ भी अपलोड करते रहते हैं।कई बार तो उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता की उनके द्वारा अपलोड की गयी फोटो या स्टेटस अपराधी के द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किया

सकता है और इस गलत इस्तेमाल से उनके जीवन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। युवाओं की इस नासमझी ने देश के सामने साइबर अपराध जैसी विकट समस्या खड़ी कर दी है।

सोशल मीडिया पर हो रहे अपराधों को कैसे रोका जाए? या कैसे कम किया जाए?, को लेकर सरकार चिंतित है। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में साइबर भारत-आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में देश विदेश के साइबर विशेषज्ञों ने महिला साइबर जैसे गंभीर विषय पर भी अपनी चिंता जाहीर किया और उससे बचने के एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया। इस लिहाज से केन्द्र सरकार ने देश के सभी राज्यों में महिलाओं और बच्चों से जुड़े साइबर अपराध की पड़ताल, नियंत्रण और रोकथाम के लिए साइबर फॉरेंसिक लैब-सह-ट्रेनिंग सेंटर खोलने का फैसला किया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए केन्द्र सरकार ने यह पहल की है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की कई वारदातें सामने आई हैं। ऐसे अपराध फेसबुक व दूसरे सोशल मीडिया से जुड़े हैं। महिलाओं से जुड़े पोर्नोग्राफी भी इस दायरे में है। इसके पीछे सक्रिय अपराधियों की धरपकड़ और उन्हें कानून के शिकंजे में कसने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। दरअसल, साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस के पास उस स्तर के न संसाधन हैं और न ही विशेषज्ञता। साइबर फॉरेंसिक लैब का कॉन्सेप्ट इस कमी को दूर करना है। यही नहीं महिला साइबर अपराध से निबटने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कानूनी एक्टभी बनाये जा रहे हैं, पर इनका कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। इन अपराधों की जांच-परख के लिए प्रशिक्षित अन्वेषकों तथा निर्णय करने वाले न्यायधीशों की नियुक्तियाँ की जा रही है, जिससे इन अपराधों से निपटा जा सके।

“Internet Ki Duniya Mein Ho Rahemahilaon Ke Viruddh Cyber Apradh”

(CYBER CRIME AGAINST WOMEN)

RESEARCH ABSTRACT

Online abuse is a serious issue in India, affecting more than half of survey respondent, yet women and other targets lack support and understanding to respond effectively. The Internet is one of the fastest-growing areas of technical infrastructure development in all nations. In the current era of online processing, maximum of the critical information and details are online and prone the cyber treats. Individuals use the internet because they can gather and share information very easily with other individuals no matter where on the globe they are located. In every creations there are good and bad sides but when a new one is created for the betterment of people the inventor does not think for its evil sides. Any development is capable of beneficial uses as well as misuse.

Based on the research presented, it is known that most women are not fully aware of cyber crime. Girls from 18 to 30 years have been found to be more in the grip of cyber crime. According to the data received, women of this age are mostly active on social media. This is the reason that most of the cases are connected with Facebook and Whatsaap. The main reason for the crime on social media is the ignorance of the key secret information of the social site. Women use the social site in abundance but are not fully aware of the privacy of social sites. Sharing personal information about the person who is connected with his life on social media, which makes the culprit get complete information about the woman. Apart from this, women update every minute of their news on the social network which is useful for the cyber criminals and uses them with the wrong intention. If the criminals interfere with the photos of women and put them on porn websites then call girl is also declared somewhere to defame the woman. All this affects the entire life of a woman.

According to the students studying in the university, the cause of cyber crime is also mutual jealousy. The boys want to see the beautiful girls of the university as their girlfriend and if the girl refuses to live with them then the boys behave like this. Sometimes it happens that if a boy is at risk of a girl's love, then to defame the girl, on social media, she has made a fake account in the name of the girl and makes obscene talks with everyone; That which comes in the serious category of women cyber crime.

On the social media, the nature of female sexual violence is seen, then the messages from junk messages, jokes, shayari etc are available to watch porn videos. While messy messages are being made about the sexual orientation of women, jokes, shayari are being served in thousands of days per day. Apart from all this, sexual violence with women is already running on the Whatsapp and on Facebook nowadays. Bullying, intimidating, harassing women on the phone has become commonplace in today's time. Behind these adventures is the sexual frustration of men, which are being thrown on women.

Cyber cell has been set up for complaint of female cyber crime. But many women cooperate with their crime silently and do not go for complaint, which increases the morale of the criminals. They constantly do criminal violence with women. According to the National Crime Records Bureau, if metro city like Delhi, if it is talked about, women are ranked first in cyber crime. The main reason for this is that every person has access to the internet today. In today's time, all social sites such as Facebook use Whatsapp to stay entertained or connected with friends, but it is also a lot of trouble. Cyber crime has great effect on the lives of women. Women suffer from mental, physical, family, social, financially. They have to undergo many types of psychiatrists. The family has to compromise with the people. It is very difficult to regain a woman's image after being poor in society. The woman gets justice after she undergoes many types of legal process to regain her reputation in society. Many times the woman is physically afflicted. Financially the woman becomes weak. He does not have a job, he has to cross many stairs to sustain life, he has to bear the inconvenience. Because of which the woman is dependent on any other person. There is a lot of pain in the life of a woman affected by cyber crime. When the woman complains in her family, some cases are allowed to remain confined to the house. In some cases he goes to the police where the culprit is caught. But woman does not get satisfaction in any way, her entire life moves around these events only. Many rules and regulations have been created in the present time to counter cyber crime. In order to punish the cyber criminals, the Information Technology Law 2000 and Information Technology Amendment Act of 2008 are in force, keeping in mind the other aspects of the case, the Indian Penal Code (IPC), Copyright Act 1957, Company Law, Government Privacy law and even terrorism law are also enforced. On some matters, I.T. I.T. issued separately from the Department. Act 2011 is also applicable.

In order to avoid cyber crime (boiling), law has been made in Saxon 509, that if a word or activity breaks the integrity of women, legal action will be taken against it. Section 66A also fits well for bulling. Apart from this, if a woman is bothered by the Fake ID, or if the dirty language is used then action will be taken against her. As is done in the cases of Sagarika, Kavita Krishnan, and Meena Kanda Sami, criminals were also punished. Despite all

this, women should have some precautions themselves to avoid cyber crime. like; To secure your e-mail on the Internet, do not open 'spam' i.e. unnecessary e-mail from unknown source. The e-mail addresses that are written in English's wrong or multilingual letters, whose topics are also understandable, clicking them without identifying them can also be dangerous. Do not try to read a document from this kind of e-mail. Do not destroy e-mail through non-essential e-mail, even if the option to 'remove' appears. Every person on the Internet is identified with his password. Your personal information can be public as soon as the password is hacked. By using passwords, criminals can misuse these information too. Protect your information on all the internet by password as far as possible. The password must be mixed with numbers, including large and missing characters. The harder the password will be as difficult to penetrate. Think of your password on the Internet. Writing passwords on unknown websites can be dangerous. Change your passwords from time to time. Do not use the same password in many places. Earning a bank loan, asking for money for an institution, returning outstanding money and lottery related e-mails usually have a way to trap people. It is better to send answers and ask for information that inform them about the cyber crime branch. Free movies, songs and software on the Internet are usually infected with the virus. It is necessary to take special care while doing so. Do not accept any unknown message while using computers at public places. Even if you do not have to click on the unknown, weird-poor link or even your permission, even then computer information can reach the source. Especially women should not share their personal photos on social media accounts. Be sure to change the privacy settings of your account before putting any of your pictures or posts. To avoid cybercrime, unknown people should not place in their social media accounts. About your name, keep searching on Google for a short period of time so that you know where and where your name is being used. If any kind of apprehension arises immediately inform your home and police, especially cyber crime experts as soon as possible. When using social sites, it is necessary to activate its security system, an unknown person should not be included in the list of friends. No person should respond to unwanted messages unless he is not familiar. Restrict your photo and personal information to friends, ie, resubmit personal details, so that no one other than a few friends can keep an eye on your personal movements. Do not share personal information online like mobile numbers, e-mails, permanent address, bank related information, even if it is relative or friend. Do not talk about any kind of online flirt from any unknown person, nor should he make any kind of effort with him. Keep the number of friends on social networking sites limited. Never include an unknown person in the list of friends. When an unknown person becomes a friend, then he watches over all our friends online. He

also makes them friends. After that the criminal starts sending porn links. Notifications go to all your friends, they also include members of your household.

To complete this research, quantitative research techniques and qualitative research methods have been used. Apart from this, numerical and qualitative research techniques have also been used. In this research work, the primary source and the use of the secondary source for achieving the data has been spread so quickly that there is hardly any young people left today that they are not using them. Through these sites, the information of the country and abroad is reaching everyone easily. While these social sites have an advantage in the human world, there are so many crimes against them. Most of these women are being victimized in these crimes, young girls in them too. On Facebook or the whatsapp crime, we get to watch TV on TV and read in the newspapers. We get some crime to read or hear but many women are not able to appear in cybercrime or they are too late. The cyber world and the crimes committed in it are presenting a new challenge every day in front of the country's security system. In particular, women are constantly hunting for malicious crimes in this virtual world. Indeed, in India, certain types of cyber crime are carried out only on women. This is a very dangerous situation. However, the security agencies are making every possible effort to stop these crimes from accelerating and to bring the criminals behind the bars. To combat these situations effectively, awareness is necessary. There is a need to spread awareness among women about those crimes and criminal methods, which are being executed only by targeting them. The highest crime that is committed by women, is cyber-stocking ie cyber world. Pursue or attack from behind. Frequent text messaging, missed calls, sending friend requests, monitoring status updates, and Internet monitoring fall into this category of crime. In the center of women cyber crime, women from sixteen to thirty-five years are in greater numbers. Because, on social media, women and young people keep uploading anything without thinking. Sometimes they do not even have an idea that they upload The photo or status taken can be used incorrectly by the criminal and this wrong use can have a bad effect on his life. This misunderstanding of the youth has created a serious problem like cyber crime in front of the country.

How to prevent crimes happening on social media? Or how to reduce ?, the government is worried about it. Recently, the Cyber India-ASEAN Summit was held in the national capital, Delhi. In this conference, cyber experts from foreign countries also expressed their concern over serious topics such as women cyber and took a pledge to work together to avoid it. In this sense, the Central Government has decided to open Cyber Forensic Lab-cum-Training Center for the investigation, control and prevention of cyber crime involving women and children in all the states of the country. Given the mounting cyber crime against women

and children, the Central Government has taken this initiative. In recent times, there have been several incidences of crime against women on social media. Such crimes are linked to Facebook and other social media. Pornography associated with women is also in this area. These steps have been taken to arrest the active criminals behind them and tighten them in the clutches of the law. In fact, to deal with cyber crime, the police have neither the resources nor expertise of that level. The concept of Cyber Forensic Lab is to overcome this shortcoming. Not only this, the government has been making legal rights from time to time to deal with the cyber crime, but they do not seem to have any special effect. Appointments of trained inventors and decision-making judges are being done to investigate these crimes, which can be dealt with by these crimes.